THINK IAS JOIN SAMYAK

Samyak
An Institute For Civil Services

DAILY
CURRENT नामा

29 एवं 30 जुलाई

9875170111
SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

सर्वोच्च न्यायालय राज्य विधेयकों को रोकने में राज्यपाल की भूमिका की जांच करेगा

सुर्खियों में क्यों ?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या राज्यपाल महत्वपूर्ण विधेयकों पर अनिश्चित काल तक रोक लगाकर और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजकर राज्यों के विधायी क्षेत्र में संघ के हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहें हैं, जिससे संविधान के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है।
- यह निर्णय केरल राज्य द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने की क्रिया को चुनौती दी गई है।

पृष्ठभूमि: केरल का मामला

- केरल राज्य ने अपने राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न उठाएं हैं, जिन्होंने कई विधेयकों को दो साल तक लंबित रखा और उनमें से सात को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया।
- राष्ट्रपति ने केंद्र की सलाह पर काम करते हुए इनमें से चार विधेयकों पर सहमति नहीं दी, जबकि उनमें से कोई भी केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित नहीं था।
- रोके गए विधेयकों में मुख्य रूप से राज्य सहकारी समितियों, लोकायुक्त और विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन शामिल थे।
- केरल ने तर्क दिया कि राज्यपाल को विधेयकों को राज्य विधानसभा के पास तुरंत वापस भेज देना चाहिए था, बजाय इसके कि वे उन पर रोक लगाकर बैठे रहें, जिससे केरल के लोगों को कल्याणकारी नीतियों के लाभों से वंचित होना पड़ा।

राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति देने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 200 विशेष रूप से विधेयकों पर स्वीकृति देने के मुद्दे से संबंधित है। विधेयकों पर स्वीकृति न देने की राज्यपाल की शक्ति निर्धारित करने के लिए दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है।

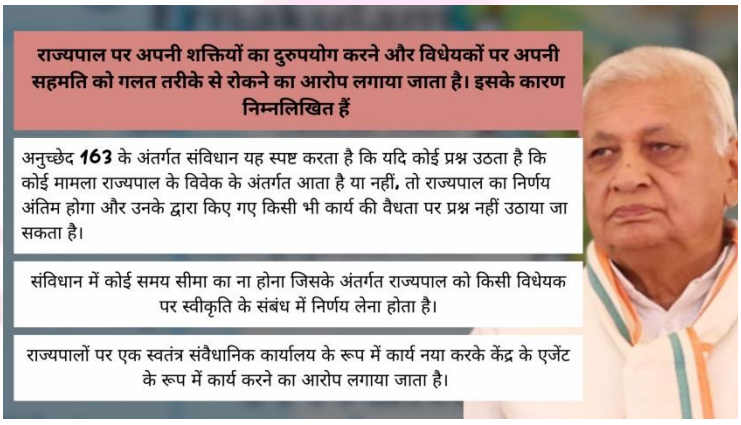

- अनुच्छेद 200 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान-मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं:
    - विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना;
    - विधेयक पर स्वीकृति रोक लेना;

- *यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना: यदि विधानमंडल संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के विधेयक को फिर से पारित करता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी;*
- *राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखना।*
- *इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी ऐसे विधेयक को आरक्षित रख सकता है, जो राज्यपाल की राय में, उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करेगा।*

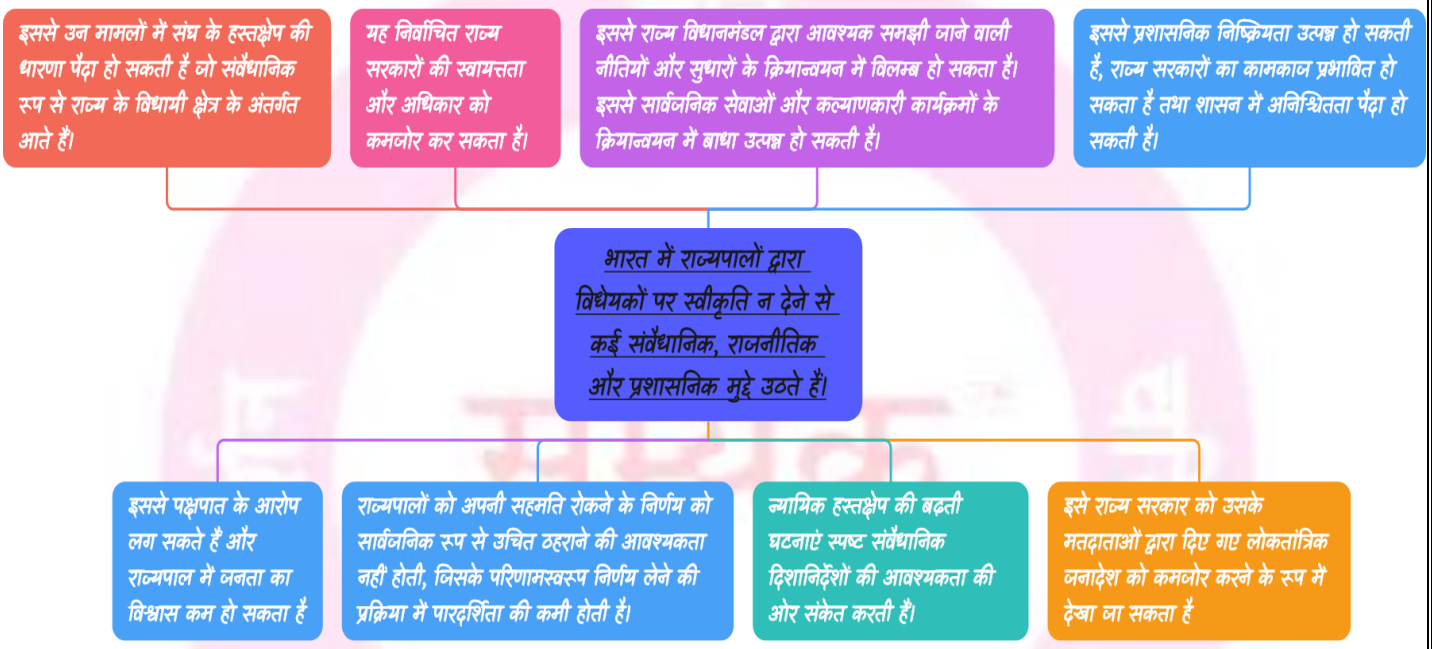

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

- ***सरकारिया आयोग:*** *अपवाद स्वरूप ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक हैं, राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन मंत्रियों की सलाह के अनुसार करना चाहिए।*
  - *राज्यपाल को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसका कोई गहरा राजनीतिक संबंध न हो या जिसने हाल के दिनों में राजनीति में भाग न लिया हो। इसके अलावा, वह सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य भी नहीं होना चाहिए।*
- ***पंछी आयोग:*** *इसने सिफारिश की कि राज्यपाल को उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत विधेयक के संबंध में 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।*
- ***संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी):*** *एनसीआरडब्ल्यूसी ने राज्यपाल को विधेयक के भाग्य पर निर्णय लेने के लिए चार महीने की समय सीमा का प्रस्ताव दिया।*

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा विभिन्न मामलों में विधेयकों पर स्वीकृति न देने के मुद्दे पर कई टिप्पणियाँ और निर्णय दिए हैं। कुछ इस प्रकार हैं -

- ***नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम उपसभापति (2016)***
  - ***संवैधानिक नैतिकता:*** *न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और निर्वाचित सरकार के जनादेश का सम्मान करने के तरीके से कार्य करना चाहिए।*
  - ***राज्यपाल की भूमिका:*** *न्यायालय ने दोहराया कि राज्यपाल निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं। इसलिए, राज्यपाल को निर्वाचित राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।*
- ***शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)***
  - *राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ सीमित हैं और उन्हें निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करने के तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए।*

<u>इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न समाधान क्या हैं?</u>

- ***निर्णय लेने के लिए समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए :*** *संवैधानिक प्रावधान लागू करने चाहिए जो राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करते हैं।*
- ***विधेयक को आरक्षित करने के लिए आधार निर्दिष्ट करने चाहिए:*** *उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए जिनके तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं।*
- ***अंतर-सरकारी मंच:*** *केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के लिए नियमित मंच स्थापित करने चाहिए, जहाँ राज्यपाल की भूमिका और राज्य की स्वायत्तता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।*
- ***सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करना चाहिए:*** *राज्यपालों को विधेयकों पर अनुमति रोकने के कारणों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।*

नीति आयोग के संबंध में चुनौतियां

<u>सुर्खियों में क्यों ?</u>

- *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। इनमें से सात प्रतिनिधियों ने बैठक का सक्रिय रूप से बहिष्कार किया, जिससे नीति आयोग की भूमिका और प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे।*
- ***<u>बहिष्कार के क्या कारण बताए गए?</u>***
  - *तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट में अपने राज्यों के लिए आवंटन और परियोजनाओं की कथित कमी पर चिंता के कारण बैठक का बहिष्कार किया। यह असंतोष केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों के वितरण के तरीके से जुड़े व्यापक मुद्दे को दर्शाता है।*

- विपक्षी नेताओं के अनुसार नीति आयोग जिसका उद्देश्य सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, वह एक सलाहकार निकाय बनकर रह गया है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के हितों की रक्षा करता है।

नीति आयोग के बारे में

- सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर **1 जनवरी, 2015** को एक नई संस्था - **नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)** की स्थापना की गई।
- यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है।
- नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है।
- इसके दो केंद्र हैं।
  - टीम इंडिया हब जो राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
  - ज्ञान और नवाचार हब जो नीति आयोग के थिंक-टैंक कौशल का निर्माण करता है।

संरचना

- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा
- गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे
- क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जिसमें संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति करेंगे।
- अंशकालिक सदस्य: अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों और संबंधित संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य, अंशकालिक सदस्य बारी के आधार पर होंगे।
- पदेन सदस्य: केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे
- मुख्य संचालन अधिकारी: भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्मरत लोग, विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।

नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा

- अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करे
- विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना
- प्रमुख हितधारकों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना
- रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। यहाँ निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे।

- सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना
- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना
- जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किए जाने को सुनिश्चित करना
- उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभांवित ना हो पाने का जोखिम होता है

संबधित चिंताएँ और चुनौतियाँ

- *नीति आयोग की निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं है।*
- *नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन निधि देने का कोई अधिकार नहीं है, जो इसे परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए शक्तिहीन बनाता है।*
- *यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जो अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किए बिना सरकार को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है।*
- *संगठन का राजनीतिकरण भी चिंता का विषय है।*
- *नीति आयोग में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपेक्षित शक्ति का अभाव है।*
- *दीर्घकालिक परिणामों के साथ नीति निर्माण में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता।*

CITES ने भारत से अगरवुड के निर्यात को आसान बनाया

सुर्खियों में क्यों ?

- *भारत ने वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा (RST) में एक्विलारिया मैलाकेंसिस (अगरवुड) को शामिल होने से सफलतापूर्वक रोक लिया।*
- *CITES ने भारत से एक्विलारिया मैलाकेंसिस के लिए एक नया निर्यात कोटा अधिसूचित किया, जो अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा।*

अगर की लकड़ी (अगरवुड) के बारे में

- *एक्विलरिया मैलाकेंसिस, जिसे आम तौर पर अगरवुड के नाम से जाना जाता है, एक बेहद कीमती और सुगंधित राल वाली लकड़ी है। इसे इत्र, धूपबत्ती और पारंपरिक दवा में इस्तेमाल के लिए बेशकीमती माना जाता है।*
- *पेड़ में राल तब बनता है जब यह एक विशेष प्रकार के मोल्ड (फियालोफोरा पैरासिटिका) से संक्रमित हो जाता है। इस संक्रमण के कारण पेड़ एक गहरे रंग का, सुगंधित राल बनाता है, जो अपनी विशिष्ट सुगंध के लिए अत्यधिक मांग में रहता है।*
- *यह उष्णकटिबंधीय जंगलों में 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर पनपता है, तथा अक्सर उच्च आर्द्रता और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।*

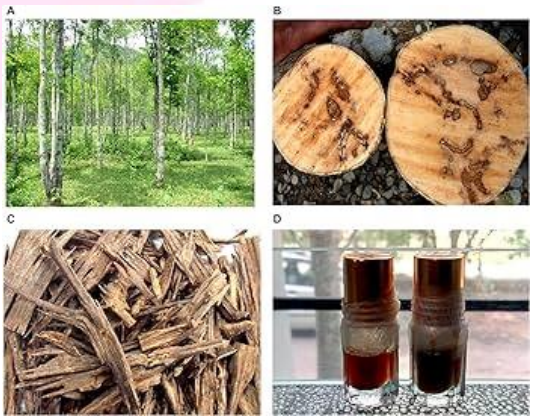

- अगरवुड का पेड़ पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
- यह एक **सदाबहार** पेड़ है जो 40 मीटर तक बढ़ सकता है।
- संरक्षण की स्थिति:
    - IUCN: गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है।
    - CITES: 1994 में CoP9 में भारत के प्रस्ताव के आधार पर 1995 में परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया। (इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से विलुप्त होने के खतरे में नहीं हैं, लेकिन जिनके अतिदोहन से बचने के लिए उनके व्यापार को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।)

CITES सूची के RST में अगरवुड को शामिल करने पर समस्याएं

- एक्विलारिया मैलाकेंसिस को 1995 में CITES के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया था।
- **RST प्रक्रिया** - प्रक्रिया यह आकलन करती है कि किसी प्रजाति में व्यापार उसके अस्तित्व के लिए हानिकारक है या नहीं और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करती है।
- **भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का अध्ययन** - भारत के रुख का समर्थन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन द्वारा किया गया, जिसमें सुझाव दिया गया कि जंगली आबादी से कटाई प्रतिबंधित होनी चाहिए, जबकि बागानों और निजी/सामुदायिक भूमि से कटाई की अनुमति दी जानी चाहिए। अध्ययन ने संकेत दिया कि भारत में वर्तमान प्रथाएँ टिकाऊ हैं।
    - भारत ने तर्क दिया कि उसने नियंत्रित कटाई पद्धतियां स्थापित की हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यापार के लिए केवल खेती की गई अगरवुड का ही उपयोग किया जाए।
    - RST में शामिल किए जाने से उन किसानों और व्यापारियों की आजीविका बाधित हो सकती थी जो अगरवुड की खेती पर निर्भर हैं(खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा)।

नया निर्यात कोटा

- 2024 के लिए निर्यात कोटा: CITES ने भारत से अगरवुड चिप्स, पाउडर/चूरा और तेल के लिए एक नया निर्यात कोटा अधिसूचित किया है, जो अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। 2024-2027 के लिए कोटा अगरवुड चिप्स और पाउडर/चूरा के लिए 1,51,080 किलोग्राम प्रति वर्ष और अगरवुड तेल के लिए 7,050 किलोग्राम प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। नये कोटे का उद्देश्य व्यापार को विनियमित और बेंध बनाना है, ताकि स्थानीय उत्पादकों और अर्थव्यवस्था को लाभ सुनिश्चित हो सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एवं भारत रोजगार रिपोर्ट 2024

सुर्खियों में क्यों ?

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का संस्थापक सदस्य भारत, ILO के भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में उसके विरुद्ध औपचारिक शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहा है। मार्च में जारी की गई

यह रिपोर्ट भारत में रोजगार परिदृश्य का आकलन करती है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली और निष्कर्षों के लिए भारत सरकार ने इसकी आलोचना की है।

रिपोर्ट के बारे में

- ***मानव विकास संस्थान (IHD) एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन*** *द्वारा तैयार*
- *भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, श्रम और रोजगार मुद्दों पर IHD द्वारा नियमित प्रकाशनों की श्रृंखला में तीसरी है।*
- *युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर यह रिपोर्ट भारत में उभरते आर्थिक, श्रम बाजार, शैक्षिक और कौशल परिदृश्य और पिछले दो दशकों में हुए बदलावों के संदर्भ में युवा रोजगार की चुनौती की जांच करती है।*

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- ***युवा बेरोज़गारी***
  - ***युवा बेरोज़गारी दर:*** *भारत में बेरोज़गार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं।*
  - ***शैक्षणिक उपलब्धि:*** *माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले बेरोज़गार युवाओं का अनुपात 2000 में 35.2% से लगभग दोगुना होकर 2022 में 65.7% हो गया है।*
  - *2000 और 2019 के बीच युवा रोज़गार और अल्परोज़गार में उछाल आया और शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी का स्तर काफी अधिक रहा।*
  - *श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) और बेरोज़गारी दर (UR) में 2000 और 2018 के बीच दीर्घकालिक गिरावट देखी गई, लेकिन 2019 के बाद इसमें सुधार देखा गया।*
- ***विरोधाभासी सुधार***
  - *पिछले दो दशकों में, भारत के रोजगार बाजार में कुछ श्रम संकेतकों में सुधार देखा गया है, लेकिन समग्र रोजगार की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।*
  - *2018 से पहले कृषि रोजगार की तुलना में गैर-कृषि रोजगार में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद, गैर-कृषि क्षेत्र कृषि से श्रमिकों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं।*
  - *अधिकांश श्रमिक, लगभग 90%, अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं, और नियमित रोजगार का अनुपात, जो 2000 के बाद लगातार बढ़ रहा था, 2018 के बाद घटने लगा।*
  - *भारत का बड़ा युवा कार्यबल, जिसे अक्सर जनसांख्यिकीय लाभ के रूप में देखा जाता है, आवश्यक कौशल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करता है।*

- ***वेतन और आय में गिरावट***
  - *2019 के बाद स्वरोजगार की वास्तविक आय में भी गिरावट आई। कुल मिलाकर, वेतन कम रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिकों में से 62% और निर्माण क्षेत्र में ऐसे 70% श्रमिकों को 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम वेतन नहीं मिला।*

- ***औद्योगिक रोजगार की संरचना में बदलाव:***
    - *प्लेटफ़ॉर्म और गिग कार्य का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, लेकिन यह अनौपचारिक कार्य का विस्तार है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान पर्याप्त नहीं होते हैं।*
- ***भविष्य में प्रवासन बढ़ने की संभावना है:***
    - *भविष्य में शहरीकरण और प्रवासन की दरों में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत में 2030 में प्रवासन दर लगभग 40% होने की उम्मीद है और शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन होने की उम्मीद है। शहरी आबादी में इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा प्रवास से आएगा।*
- ***क्षेत्रीय असमानताएँ:***
    - *राज्यों में रोज़गार परिणामो में भिन्नताएँ मौजूद हैं, कुछ राज्य रोज़गार संकेतकों में लगातार निचले स्थान पर बने हुए हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ ।*
- ***बढ़ता लैंगिक अंतर:***
    - *भारत, श्रम बाजार में लैंगिक अंतर की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसमें महिला श्रम बल भागीदारी की दर कम है। युवा महिलाओं, विशेषकर उच्च शिक्षित महिलाओं के बीच बेरोजगारी की चुनौती बहुत बड़ी है।*

<u>अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में</u>

- *यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसी है।*
- *यह 187 सदस्य देशों (**भारत इसका सदस्य है**) की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है, ताकि श्रम मानकों को निर्धारित किया जा सके, नीतियों को विकसित किया जा सके और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।*
- *इसे **1969 में नोबेल शांति पुरस्कार** मिला।*

- इसकी **स्थापना 1919** में **वर्साय की संधि** द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी और **1946** में यह **संयुक्त राष्ट्र की पहली संबद्ध विशेष एजेंसी** बन गई।

प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित

चर्चा का विषय	सुर्खियों में क्यों ?	अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024	शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की चौथी वर्षगांठ मनाएगा।	• पहले कार्यक्रम का उद्घाटन - जुलाई 2022 में वाराणसी में • उद्देश्य - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी, सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करना, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना और उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना तथा उनके समाधान प्रस्तुत करना था।
कॉलर आईडी स्पूफिंग	कॉलर आईडी स्पूफिंग का उपयोग करके धोखाधड़ी वाली कॉलों का प्रचलन बढ़ गया है। यह उपभोक्ताओं, दूरसंचार प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर इसके व्यापक प्रभाव के कारण चिंता का विषय बना हुआ है।	• कॉलर आईडी स्पूफिंग एक स्पूफिंग हमला है जिसके कारण टेलीफोन नेटवर्क की कॉलर आईडी कॉल के रिसीवर को यह संकेत देती है कि कॉल का स्रोत वास्तविक स्रोत स्टेशन के अलावा कोई अन्य स्टेशन है। • इससे डिस्प्ले पर फ़ोन नंबर उस फ़ोन नंबर से अलग दिखाई दे सकता है जिससे कॉल की गई थी। • कॉलर आईडी स्पूफिंग करना अपेक्षाकृत आसान है और इसका इस्तेमाल कई समूहों द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें उत्साही, टेलीमार्केटर और धोखेबाज़ शामिल हैं। **<u>कानूनी स्थिति</u>** • कॉलर आईडी स्पूफिंग कई अधिकार क्षेत्रों में कानूनी है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर कॉलर आईडी स्पूफिंग सेवाएँ देने वाली कंपनियाँ भी उभरी हैं। **<u>कॉलर आईडी स्पूफिंग को कम करने के प्रयास</u>** **अंतर्राष्ट्रीय प्रयास** • **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)**: 2021 में, इसने कॉलर आईडी स्पूफिंग से निपटने के

		*लिए एक तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें इस मुद्दे से निपटने के लिए एक **सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना** (PKI)-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली की सिफारिश की गई।* ***राष्ट्रीय प्रयास*** • ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI):*** *TRAI ने **कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन** (CNAP) नामक एक प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की है, जो TrueCaller जैसे ऐप के समान KYC दस्तावेजों के आधार पर कॉलर के नाम प्रदर्शित करेगी। हालाँकि अभी तक कोई व्यापक योजना नहीं आई है।* • ***दूरसंचार विभाग (DoT):*** *मई 2024 में, DoT ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कॉल को "पहचानने और ब्लॉक करने" के लिए एक प्रणाली तैयार की। हालाँकि, सिस्टम के तकनीकी पहलुओं और प्रभावशीलता के बारे में विवरण अस्पष्ट हैं।*
दक्षिण अफ्रीका का पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून	*दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून पर हस्ताक्षर किए हैं।* *राष्ट्रपति ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी लाने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए यह कानून दक्षिण अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।*	***<u>कानून क्यों महत्वपूर्ण है</u>*** • *विश्व के शीर्ष 15 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक होने के नाते, दक्षिण अफ्रीका बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर करता है।* • *यह नया कानून बड़े, जीवाश्म ईंधन-भारी उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाता है और कस्बों और गांवों से जलवायु-अनुकूलन योजनाओं की मांग करता है।* • *कानून के अनुसार पर्यावरण मंत्री को बड़ी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक कंपनियों को कार्बन बजट आवंटित करना होगा, तथा एक निश्चित समयावधि में उनके उत्सर्जन की सीमा तय करनी होगी।* ***<u>जलवायु परिवर्तन और भारत</u>*** • *अप्रैल में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार" को मान्यता दी, जिसमें व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया।*

		• *हालांकि, भारत विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने का प्रयास करता है जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम*
लिथियम	*लिथियम संसाधनों को सुरक्षित करने के भारत के प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में जहां एक महत्वपूर्ण लिथियम ब्लॉक के लिए नीलामी को बार-बार रद्द करना पड़ रहा है।*	***<u>सुर्खियों में क्यों ?</u>*** • *इस ब्लॉक में 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क होने का अनुमान है।* • *क्षमता के बावजूद, ब्लॉक पर्याप्त निवेशक रुचि आकर्षित करने में विफल रहा है, जिससे इसके विकास की रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।* ***<u>लिथियम के बारे में</u>*** • *लिथियम एक अलौह धातु है। यह सभी धातुओं में सबसे हल्की है और इसका सबसे कम सघन है।* • *हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बाद आवर्त सारणी में तीसरा तत्व होने के कारण, लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है।* • ***अन्य नाम*** *- 'सफेद सोना'* • ***अनुप्रयोग –*** *इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (सेल फोन, कंप्यूटर और अन्य गैजेट) के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज* ***<u>भंडार:</u>*** • *अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान - 2022 में लिथियम के वैश्विक संसाधन 98 मिलियन टन (एमटी)* • ***अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली*** *को सामूहिक रूप से* ***लिथियम त्रिभुज*** *कहा जाता है।* • *ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद चिली, चीन का स्थान है* ***<u>भारत की स्तिथि</u>*** • *वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।*

		• वर्तमान में, लिथियम भंडार के दो ब्लॉक, जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक-एक, लाइसेंस के लिए नीलामी के लिए तैयार हैं।
टेल उम्म आमेर विरासत स्थल	विश्व धरोहर समिति ने नई दिल्ली में अपने 46वें सत्र के दौरान **फिलीस्तीनी के** टेल उम्म आमेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची तथा खतरे में विश्व धरोहरों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया।	**साइट के बारे में:** • यह गाजा शहर से सिर्फ 10 किमी दक्षिण में नुसेरात नगर पालिका के तटीय टीलों पर स्थित है। • यह एक प्राचीन **ईसाई मठ** है जिसकी स्थापना चौथी शताब्दी में **हिलारियन द ग्रेट (291-371 ई.)** ने की थी। • इसे **'सेंट हिलारियन के मठ'** के नाम से भी जाना जाता है। • यह पवित्र भूमि में पहला मठवासी समुदाय था, जिसने इस क्षेत्र में मठवासी प्रथाओं के प्रसार के लिए आधार तैयार किया।
परखPARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for	भारतीय स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन को मानकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत स्थापित इकाई PARAKH	**PARAKH के बारे में** • परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। • यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाने के लिए काम करेगा। यह नए मूल्यांकन पैटर्न और

Holistic Development)	*की हालिया रिपोर्ट में कक्षा 9 से 12 तक छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव का सुझाव दिया गया है। ये सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अधिक समग्र और मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली बनाने के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।*	*नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा।* • *यह **एनसीईआरटी की एक घटक इकाई** के रूप में कार्य करेगा।* • *इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आवधिक शिक्षण परिणाम परीक्षण आयोजित करने का भी काम सौंपा जाएगा।* • *यह तीन प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा: बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल-आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार।* ***<u>सिफारिश</u>*** • *कक्षा 12 के मूल्यांकन में कक्षा 9-11 के प्रदर्शन को शामिल करना* • ***भार वितरण:*** • *कक्षा 9: 15%* • *कक्षा 10: 20%* • *कक्षा 11: 25%* • *कक्षा 12: 40%* • *PARAKH का प्रस्ताव है कि कक्षा 9, 10 और 11 में छात्रों के प्रदर्शन को उनके अंतिम कक्षा 12 के अंकों में योगदान देना चाहिए। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्र की शैक्षणिक यात्रा का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है।* • *रिपोर्ट में छात्रों की क्षमताओं का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच संतुलित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है।*
मस्तिष्क खाने वाला अमीबा	*केरल में एक चार वर्षीय लड़के में प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रमण, की पुष्टि हुई है।*	***<u>इसके के बारे में:</u>*** • *नेगलेरिया फाउलेरी, जिसे आमतौर पर "मस्तिष्क खाने वाला अमीबा" के रूप में जाना जाता है, एक एकल-कोशिका वाला जीव है जो झीलों, गर्म झरनों और खराब रखरखाव वाले स्विमिंग पूल जैसे गर्म मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। हालांकि, यह ठंडे तापमान में भी मीठे पानी के निकायों में पाया है।* • *इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा*

		सकता है। • *अमीबा **नाक** के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के रूप में जाना जाने वाला गंभीर मस्तिष्क संक्रमण पैदा कर सकता है।* • *PAM से पीड़ित अधिकांश लोगों की लक्षण शुरू होने के 1 से 18 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु दर 97 प्रतिशत है।* • *यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में **नहीं** फैलता।* ***उपचार*** • *विशेषज्ञ अभी भी PAM के इलाज के लिए दवा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह जानना मुश्किल है कि कौन सी दवा कारगर होगी क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है और यह बहुत तेज़ी से विकसित होता है* • *अभी उपचार में दवाओं का संयोजन शामिल है।* 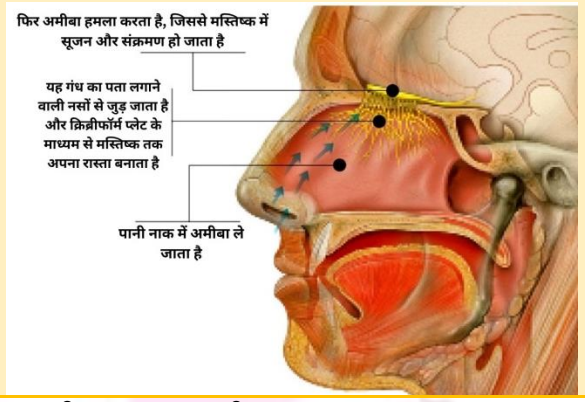
चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता(QUAD); इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) पहल	*क्वाड ने अपने महत्वाकांक्षी इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (आईपीएमडीए) कार्यक्रम को हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा की, जिससे रणनीतिक समुद्री क्षेत्र की निगरानी में*	***चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता(QUAD)*** • *दिसंबर 2004 में सुनामी आई और जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद करना;* • *साल 2007 में जापान ने इसे औपचारिक रूप से गठित करने का विचार रखा;* • ***नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान** ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव पर मुहर लगाई;*

	सुविधा होगी। क्वाड विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई।	**<u>उद्देश्य</u>** • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रास्तों से आपसी व्यापार को आसान बनाना • क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर लगाम लगाना • प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखना • नेविगेशन की स्वतंत्रता और एक लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित करना **<u>इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) पहल</u>** • टोक्यो शिखर सम्मेलन, 2022 में क्वाड समूह द्वारा घोषित एक पहल • यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और इसके महत्वपूर्ण जलमार्गों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण पहल है। • यह दक्षिण-पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों को उनके समुद्री क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक उपग्रह रेडियो आवृत्ति डेटा संग्रह जैसी नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। • आईपीएमएडीए पहल में क्षेत्रीय सूचना केंद्र भी शामिल हैं। • यह "डार्क शिपिंग" पर नज़र रखता है। ("**डार्क शिप**" वे जहाज होते हैं, जिनकी स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) को बंद कर दिया जाता है, ताकि उनका पता न चल सके)
लोक अदालत	सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्षगांठ समारोह के एक भाग के रूप में लंबे समय से लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष	**<u>लोक अदालत के बारे में</u>** • 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ है 'लोगों की अदालत' और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। • यह वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली के घटकों में से एक है और आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित

	लोक अदालत अभियान की शुरुआत की।	न्याय प्रदान करता है। • **वैधानिक दर्जा** – कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत • **गठन** – राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/तालुका विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर तथा ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालतों का गठन कर सकती है, जैसा वह उचित समझे। • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर लोक अदालतों का आयोजन करता है। **संरचना** • किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में उस क्षेत्र के उतनी संख्या में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और अन्य व्यक्ति शामिल होंगे, जितनी कि आयोजन करने वाली एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट की जाए। • आम तौर पर, **अध्यक्ष** – एक न्यायिक अधिकारी; **सदस्य** - एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता। **क्षेत्राधिकार :** लोक अदालत को निम्नलिखित के संबंध में विवाद के पक्षों के बीच समझौता या निपटान निर्धारित करने का अधिकार होगा: • किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी मामला, या • कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और ऐसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है। **न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि:** • पक्ष लोक अदालत में विवाद को निपटाने के लिए सहमत होते हैं या पक्षों में से कोई एक मामले को लोक अदालत में भेजने के लिए आवेदन करता है या न्यायालय को संतुष्टि होती है कि मामले को लोक अदालत द्वारा

		हल किया जा सकता है। • *मुकदमेबाजी से पहले के विवाद के मामले में, विवाद के किसी भी पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर मामले को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।* • *पारिवारिक विवाद, आपराधिक (शमनीय अपराध) मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विवाद, कामगार मुआवजा मामले, बैंक वसूली मामले आदि जैसे मामले लोक अदालतों में सुने जा सकते हैं।* • *हालांकि, किसी भी कानून के तहत गैर - समझौतायोग्य अपराध से संबंधित किसी भी मामले में लोक अदालत का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।* ***<u>शक्तियाँ:</u>*** • *लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं।* • *इसके अलावा, लोक अदालत के पास अपने समक्ष आने वाले किसी भी विवाद के निर्धारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियाँ होंगी।* • *लोक अदालत द्वारा दिया गया **प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा** तथा विवाद के सभी पक्षों पर **बाध्यकारी होगा।** लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में **अपील नहीं की जा सकेगी।***
हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय	*केंद्रीय मंत्री शेखावत ने हुमायूं के मकबरा परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया*	***<u>संग्रहालय के बारे में</u>*** • ***<u>साझेदारी</u>*** *- संग्रहालय आगा खान संस्कृति न्यास (एकेटीसी) द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है* • *इस संग्रहालय का नक्शा मध्यकालीन 'बावली' (पारंपरिक रूप से जल का संरक्षण करने का स्थान) से प्रेरित है।* *इसकी गैलरी में 14वीं शताब्दी से निज़ामुद्दीन क्षेत्र से जुड़ी चार प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों को प्रदर्शित किया गया है:*

		• ***हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया:*** *14वीं शताब्दी के सूफ़ी संत।* • ***अमीर खुसरो:*** *निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य, कवि और कव्वाली संगीत शैली के निर्माता।* • ***रहीम:*** *अकबर की सेना के सेनापति, कवि और रामायण का फ़ारसी में अनुवादक।* • ***दारा शिकोह:*** *उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवादक।*
पीएम श्री योजना	*पंजाब ने पीएम श्री योजना शुरू करने पर सहमति जताई*	***<u>पीएम श्री योजना के बारे में:</u>*** • *यह भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है।* • *इसका उद्देश्य 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करना है, जिनकी देखरेख केंद्र सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, स्थानीय निकाय, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) द्वारा की जाएगी।* • *इन स्कूलों का उद्देश्य प्रत्येक छात्र के लिए समावेशी माहौल बनाना और एक सुरक्षित एवं समृद्ध शिक्षण वातावरण प्रदान करना है।* • *यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो समानता, समावेशिता और बहुलवाद की विशेषता वाले समाज के निर्माण का प्रयास करता है।* • *ये स्कूल न केवल संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से सुसज्जित सर्वांगीण व्यक्ति तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।* • *योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक है, जिसके बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए मानदंडों को बनाए रखें।*
Report on Currency and Finance (RCF)/ मुद्रा और वित्त (RCF) पर रिपोर्ट ; प्रोजेक्ट नेक्सस	*भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त (RCF) पर रिपोर्ट जारी की है*	***<u>रिपोर्ट के अनुसार</u>*** • *डिजिटलीकरण जहां पहुंच और सुविधा को बढ़ाता है, वहीं यह उपभोक्ता व्यवहार, डेटा सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता से संबंधित चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।*

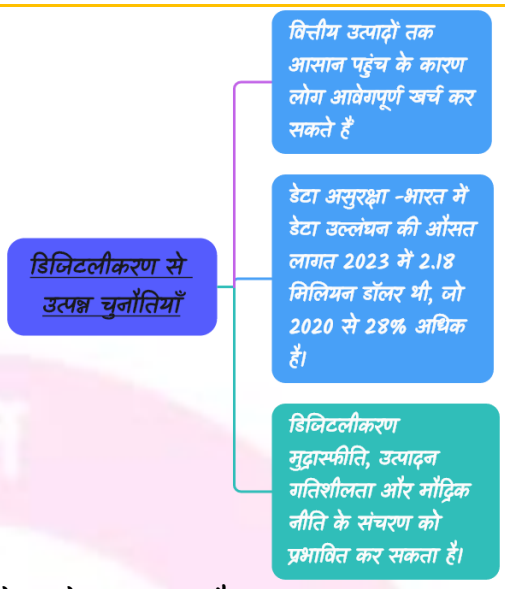

प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है?

- *प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है।*
- *इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों (IPS) को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है।*
- *यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाला पहला BIS इनोवेशन हब प्रोजेक्ट है*
- *आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में भाग लिया है, इस परियोजना में मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के एफपीएस के साथ भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का एकीकरण शामिल है।*
- *प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के चार देशों - मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड तथा भारत के एफपीएस को जोड़ना है। यह इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश भी होंगे।*

आइडियाजप्लाइफ पोर्टल	*हाल ही में आइडियाजप्लाइफ का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों और नवाचारों को ऑनलाइन आमंत्रित करना है, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाते हैं।*	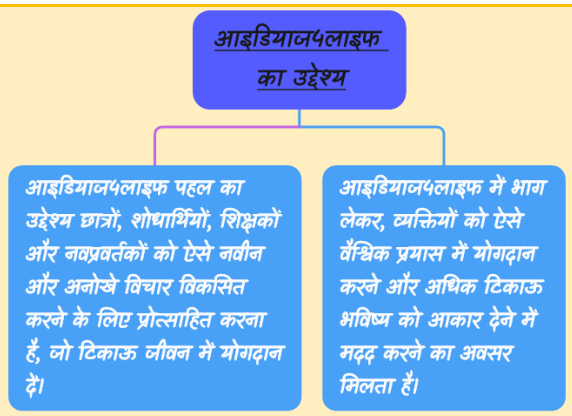 • *यह पहल बड़े वैश्विक आंदोलन,* ***मिशन लाइफ*** *का हिस्सा है, जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।*